उत्तराखण्ड सरकार

पता : 12 तिलक रोड, देहरादून।
दूरभाष संख्या : 0135–2727981
Email : cduttarakhand@gmail.com

कार्यालय / न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 80 के अन्तर्गत

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी
आई0टी0 सेल
देहरादून।

पत्रांक : 437/आ0दि0ज0/2018–19 **दिनांक : 15 फरवरी, 2019**

विषय : आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड कार्यालय वाहन नीलामी हेतु विज्ञप्ति को समाज कल्याण वेबसाईट पर प्रकाशित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि इस कार्यालय के वर्ष 2007 मॉडल एम्बेसडर क्लासिक 1800 ISZ MPFI EURO-II Petrol with A.C. को नीलाम किया जाना है। कृपया निम्न विज्ञप्ति को समाज कल्याण विभाग की वेबसाईट पर आज की अपलोड कराते हुए अवगत कराने का कष्ट करें :–

....

विज्ञप्ति

कार्यालय/न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड
12 तिलक रोड, देहरादून। दूरभाष संख्या : 0135–2727981

निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी हेतु

इस कार्यालय के वर्ष 2007 मॉडल एम्बेसडर क्लासिक 1800 ISZ MPFI EURO-II Petrol with A.C. को नीलाम किया जाना है। निष्प्रयोज्य वाहन का न्यूनतम मूल्य कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा रू0 24500/– निर्धारित किया गया है, जिसका निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में अधोईवाला स्थित राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय परिसर में किया जा सकता है। निष्प्रयोज्य घोषित वाहन की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 20.02.2019 को प्रातः 11:30 बजे राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय परिसर, अधोईवाला, देहरादून में खुली बोली द्वारा "जहां हैं जैसा है" के आधार पर की जायेगी, जिसकी नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं :–

1. प्रत्येक बोलीदाता को रू0 5000/– अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट, जो कि जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून के नाम से देय हो, को प्रस्तुत करना होगा, तभी वह बोली में भाग ले सकेगा।
2. उच्चतम् बोली स्वीकार होने के पश्चात यदि सम्पूर्ण धनराशि उच्चतम् बोलीदाता द्वारा जमा नहीं करायी जाती है तो अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।
3. निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी खुली बोली के द्वारा जहां है, जैसा है के आधार पर की जायेगी।

4. बोलीदाता को राशनकार्ड/ फोटो पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेन्स/आधार कार्ड/पैन कार्ड की छायाप्रति अपनी व्यक्तिगत पहचान हेतु संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

5. नीलामी को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त दिव्यांगजन में निहित होगा।

6. आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय में सेवारत व्यक्ति उनके निकटतम परिवार के सदस्य नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह नहीं होगा।

7. उच्चतम् बोलीदाता द्वारा बोली गई सम्पूर्ण धनराशि धरोहर राशि के रूप में जमा धनराशि को घटाते हुए वाहन हस्तगत कराये जाने से पूर्व नियमानुसार जी0एस0टी0 सहित नकद रूप में आहरण वितरण अधिकारी, कार्यालय आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड, देहरादून को भुगतान करनी होगी। ऐसा न करने की दशा में उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय उच्च बोली पर वाहन की नीलामी के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा। सफल बोलीदाता को उनके द्वारा बोली गई उच्चतम् बोली पर जी0एस0टी0 का भुगतान अलग से करना होगा।

8. उच्चतम् बोली की धरोहर राशि उसकी धरोहर राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा शेष अन्य की धरोहर राशि नीलामी की कार्यवाही के पश्चात सम्बन्धित को वापस कर दी जायेगी।

9. नीलामी होने के उपरान्त सफल नीलामीदाता को तत्काल शेष धनराशि का भुगतान कर वाहन को 'जहां है, जैसा है' के आधार पर लेना होगा, जिसके लिये अधिकतम 02 दिन का समय दिया जायेगा।

10. अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यदि कोई आवश्यक हुई, तो उसे नीलामी से पूर्व समिति द्वारा सुना दिया जायेगा।

मेजर योगेन्द्र यादव
आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तराखण्ड
देहरादून। फोन – 0135 – 2727981

भवदीय

(मेजर योगेन्द्र यादव)
आयुक्त
दिव्यांगजन उत्तराखण्ड